महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

वित्त–समिति की पंचम (02/2024) बैठक का कार्यवृत्तः

नवस्थापित महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की वित्त–समिति की पंचम बैठक दिनांक 13.02.2024 मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ स्थित कैम्प कार्यालय में अपराह्न 01:30 बजे आहूत की गयी। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

क्र0स0	अधिकारी का पदनाम व नाम	पद
01	मा0 कुलपति, प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा	अध्यक्ष
02	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी, डॉ0 बृज किशोर त्रिपाठी	सदस्य, प्रतिनिधि उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन (आनलाइन उपस्थित)
03	कुलसचिव, श्री विशेश्वर प्रसाद	सदस्य
04.	प्रो0 मृदुल कुमार गुप्ता, गणित विभाग, चौ0 चरण सिंह वि0वि0, मेरठ	कार्यपरिषद् द्वारा नामित सदस्य (आनलाइन उपस्थित)
05.	वित्त अधिकारी, श्री शैलेष गिरि	सदस्य सचिव एवं प्रतिनिधि वित्त विभाग

मा0 कुलपति जी की अनुमति से वित्त अधिकारी ने समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की।

मद सं0 1– वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 25 अगस्त 2023 में लिए गए निर्णयों का सम्पुष्टीकरण–

निर्णय :पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों को वित्त समिति के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया। समुचित विचारोपरान्त पिछली वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति सें पुष्टि की गई।

मद सं. 2– विश्वविद्यालय में पी–एच0डी0 शुल्क का निर्धारण के सम्बन्ध में विचार। सूच्य है कि विश्वविद्यालय के पत्र सं0 पत्रांक–2796/कु0का0/2024 दिनाँक 18.01.2024 द्वारा विश्वविद्यालय में पी–एच0डी0 शुल्क निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया गया था जिसकी आख्या विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त अधिकारी
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय
आजमगढ़

Scanned with OKEN Scanner

निर्णयः सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पी–एच0डी0 शुल्क निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तुत शुल्क में निम्नवत संशोधन के साथ यथावत अनुमोदित किया गया –

प्रस्ताव संख्या 01 के क्रम संख्या 10 में उपाधि शुल्क रू0 200.00 के स्थान पर वित्त समिति की पूर्व बैठक में किये गए अनुमोदन के क्रम में रू0 400.00 किया गया।

मद सं. 3– विश्वविद्यालय बजट वित्तीय वर्ष 2023–24 के संशोधन पर विचार करना।

निर्णयः समिति के समक्ष कार्य परिषद द्वारा पारित दिनांक 25/8/2023 के बजट क्रम संख्या 106,109 एवं 111 क्रमशः मद उत्तर पुस्तिका की खरीद, परीक्षा सम्बन्धी मुद्रण (अंक पत्र, उपाधि, स्टेशनरी, आदि) एवं कम्प्यूटर एजेन्सी उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीय अंकपत्र निमार्ण एवं परीक्षा परिणाम ऑनलाइन सम्बन्धी कार्य एवं मुद्रण से बचत की धनराशि क्रमशः 1 करोड़, 3 करोड़ एवं 1 करोड़ क्रमांक 101 एवं 105 क्रमशः यात्रा/वाहन देय/परीक्षा/प्रशासनिक इत्यादि एवं अन्य विविध व्यय (नवीन वाहन क्रय एवं सूक्ष्म जलपान सम्मिलित) में क्रमशः 50 लाख एवं 4 करोड़ 50 लाख सम्मिलित किये जाने (पुविर्नियोग) के प्रस्ताव पर समिति द्वारा विश्वविद्यालय की आवश्यकता के दृष्टिगत सहमति प्रदान कर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। सूच्य है कि दिनांक 27.03.2023 को वित्त समिति में पारित बजट के क्रम संख्या 105 अन्य विविध व्यय के अन्तर्गत वाहन क्रय को नही सम्मिलित किया गया था, जिसे कार्यपरिषद द्वारा दिनांक 18/11/23 को बैठक संख्या 09/23 के मद संख्या (07) के अर्न्तगत दिये गये सहमति के अनुपालन में अन्य विविध व्यय के साथ नवीन वाहन क्रय को जोड़े जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

मद सं. 4– मा0 कुलपति जी, कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी हेतु वाहन खरीदने एवं बजट प्राविधान पर विचार ।

सूच्य है कि मा0 कुलपति, वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव हेतु वाहन खरीदने हेतु दिनाँक 18/11/2023 को कार्य परिषद की बैठक संख्या 09/23 के मद संख्या (07) में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

वित्त अधिकारी
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय
आजमगढ़

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

निर्णयः समिति के समक्ष प्रस्तुत बजट के कम संख्या 105 में संशोधन कर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं. 5– जी0एस0टी0 विभाग द्वारा लगायी गई अर्थदण्ड (पेनाल्टी) के सम्बध में। सूच्य है कि सहायक आयुक्त राज्य कर के पत्र 194/स0आ0रा0क0ख003/2023–24, दिनाँक 22 नवम्बर 2023 द्वारा विश्वविद्यालय को अवगत कराया है कि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न महाविद्यालय से प्राप्त आवेदन शुल्क, निरीक्षण शुल्क एवं सम्बद्वता शुल्क (एफीलिएशन शुल्क) पर नियमानुसार जी0एस0टी0 अधिनियम–2017 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार 18 प्रतिशत की दर से कर अदायगी नही की गयी है जिसके उपरान्त कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त 18 महाविद्यालय के कुल सम्बद्वता शुल्क रू0 27 लाख का 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 4,86,000.00 दिनाँक 10.1.2024 को जी0एस0टी0 चालान के माध्यम से जमा किया जा चुका है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः समिति उपरोक्त तथ्य से अवगत हुई तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बंधित महाविद्यालयों को पत्र जारी कर एक सप्ताह का समय देकर निर्धारित 18% की दर से जी0एस0टी0 शुल्क लिया जाए तथा भविष्य में सम्बंधित महाविद्यालयों से निर्धारित शुल्क के साथ 18% की दर से जी0एस0टी0 लिया जाए।

अन्य मद– मा0 कुलपति जी की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

निर्णयः सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि

01. मूल्याकंन में नियुक्त मुख्य परीक्षक/विषय संयोजक को स्नातक/परास्नातक स्तर पर प्रति दिन उस विषय के एक परीक्षक द्वारा अधिकतम उत्तर पुस्तिका के मूल्याकंन के पारिश्रमिक के बराबर अथवा अधिकतम सह समन्वयक के पारिश्रमिक के बराबर, देय होगा।

02. विश्वविद्यालय के न्यायालयीय कार्य हेतु स्थानीय अधिवक्ता को देय पारिश्रमिक डी0डी0यू0 विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आधार पर प्रस्तुत पारिश्रमिक (i) इंस्ट्रक्शन/नरेटीव/प्रस्तरवार आख्या/रिज्वाइण्डर तैयार करनें के लिए रू0 2000.00 प्रति केस (ii) विधिक राय के लिए रू0 1000.00 प्रति केस (iii) स्थानीय न्यायालय में (श्रम न्यायालय/सिविल कोर्ट एवं उपभोक्ता फोरम) रू0 2000.00 प्रति केस (iv) मा0 उच्च

वित्त अधिकारी
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय
आजमगढ़

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समादर में प्रत्यावेदन के निस्तारण में रू0 2000.00 प्रति केस अथवा पू0वि0वि0 जौनपुर में लागू पारिश्रमिक के बराबर, दोनो में जो कम हो, उसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बैठक के अन्त में वित्त अधिकारी द्वारा मा0 अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करतें हुए मा0 अध्यक्ष जी की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

(शैलेष गिरि)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव
वित्त समिति

वित्त अधिकारी
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय
आजमगढ़

(प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा)
कुलपति/अध्यक्ष
वित्त समिति

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner